

पुलिस अधीक्षक ने इकौना सर्किल के थानों की अपराध समीक्षा



श्रावस्ती 20 फरवरी (मि0टा0सं0)। पुलिस अधीक्षक मनसूखान चौधरी ने इकौना सर्किल के थाना इकाई, थाना एनएम्पीटी श्रावस्ती व गिलौला की अपराध समीक्षा की। इकौना सर्किल के थाना इकाई में 30 थाना गिलौला में 20 थाना एनएम्पीटी श्रावस्ती में कुल 3 विवेचनाएं लक्षित हुईं। पुलिस अधीक्षक ने लक्षित विवेचनाओं की समीक्षापत्रादा माज गया कि जिन विवेचनाओं द्वारा विवेचनाओं के

निस्तारण में सावधान प्रयास नहीं किये जा रहे थे उन सभी विवेचनाओं को कड़े निर्देश निर्गत किए। साथ ही सावधान संकलन कर। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। तत्परमाणु पुलिस अधीक्षक द्वारा वाणिज्य/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा लक्षित प्रबंधना पत्रों पर भी गुणवत्तापूर्ण यथाशीघ्र निस्तारण हेतु प्रभारी निरीक्षक सहित सभी विवेचनाओं को निर्देशित किया गया।

एससी एसटी के अभियोग में चार आरोपियों को हुई सजा

श्रावस्ती 20 फरवरी (मि0टा0सं0) पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में न्यायालय एससी/एसटी एक्ट जनपद श्रावस्ती ने थाना इकौना क्षेत्र अंतर्गत विपक्षीय द्वारा वादी के पिता व चाचा को जाति सूचक शब्दों से गाली गुप्ता देते हुये मारना-पीटने व जान-माल की धमकी देने के अपराध में रिकू सिंह उर्फ संदीप सिंह पुत्र साधू सिंह उर्फ शिवनन्दन आशुतोष सिंह उर्फ तोपू पुत्र राजकिशोर निवासीगण कुसहवा

दा0 सेमगड़ा थाना इकौना अतुल सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह पृथ्वी यादव उर्फ पृथ्वी पाल पुत्र रामजस मि0 रामपुरवा दा0 सलवारिया थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को मु0अ0स0 20/2021 धारा 323,504,506,307 भादवि, 3(1)(द) व धारा 3(1)(घ) व धारा 3(2)(ट) एससीएसटी एक्ट में दोषी मानते हुये 04 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 06-06 हजार रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।